

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 753 सन 2019

अनवान :-

1. बनवारीलाल पुत्र साजनराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. साजनराम पुत्र ताजुराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश 3 बीबरल 4 दलीप 5 सन्तलाल पि० साजनराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सरबती 7. गिरदावरी 8. रूकमा 9. सावित्री 10 भूरी पुत्रीयान साजनराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. प्रमेश्वरी पत्नी स्व ललाचन्द जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
12. सुभाष 13 लिच्छुराम 14 सुमित्रा पि० लालचन्द जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 4/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 217/73 के खसरा न० 21/6.6900 ,33/5.2240 ,37/5.0580 ,104/4.7540 ,121/1.0120 कुल 22.7380 हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 216/205 के खसरा न० 35/3 की 2.2530 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ताजुराम वल्द मौटाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा ताजुराम वल्द मौटाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा ताजुराम वल्द मौटाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र लालचन्द के वारिसान 1 ता 14 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ,वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 11 प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 की माता है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ,12 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों /माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 बहिब के

25

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता ताजुराम वल्द मौटाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 जो प्रतिवादी संख्या 11 के पुत्र/पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 5 ,11 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 217/73 के खसरा न0 21/6. 6900 ,33/5.2240 ,37/5.0580 ,104/4.7540 ,121/1.0120 कुल 22.7380 हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 216/205 के खसरा न0 35/3 की 2. 2530 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ताजुराम वल्द मौटाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा ताजुराम वल्द मौटाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा ताजुराम वल्द मौटाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र लालचन्द के वारिसान 1 ता 14 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ,वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 11 प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 की माता है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ,12 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों /माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 217/73 के खसरा न0 21/6.6900 ,33/5.



2240 ,37/5.0580 ,104/4.7540 ,121/1.0120 कुल 22.7380हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 216/205 के खसरा न0 35/3 की 2.2530हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्तव 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि ताजुराम वल्द मोटाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा ताजुराम वल्द मोटाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा ताजुराम वल्द मोटाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र लालचन्द का देहान्त हो चुका है इसलिये लालचन्द के हक हिस्सा की भूमि उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 का हक हिस्सा है अर्थात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ,12 ता 14 जो वादी की बहने/प्रतिवादी संख्या 11 के पुत्र/पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,6 ता 10 ,12 ता 14 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ,12 ता 15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशोकार सज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 217/73 के खसरा न0 21/6.6900 ,33/5.2240 ,37/5.0580 ,104/4.7540 ,121/1.0120 कुल 22.7380हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 216/205 के खसरा न0 35/3 की 2.2530हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 बहिब खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. बनवारीलाल पुत्र साजनराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. साजनराम पुत्र ताजुराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश 3 बीबरल 4 दलीप 5 सन्तलाल पि0 साजनराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सरबती 7. गिरदावरी 8. रूकमा 9. सावित्री 10 भूरी पुत्रीयान साजनराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. प्रमेश्वरी पत्नी स्व ललाचन्द जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
12. सुभाष 13 लिच्छुराम 14 सुमित्रा पि0 लालचन्द जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 753 सन 2019 निर्णय दिनांक- 4/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष हनुमानगढ।

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 217/73 के खसरा न0 21/6.6900 ,33/5.2240 ,37/5.0580 ,104/4.7540 ,121/1.0120 कुल 22.7380हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 216/205 के खसरा न0 35/3 की 2.2530हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,11 बहिब खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )